

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4049

दिनांक:- 19/4/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू. क्षे.	गृ.नि.स.स. /निजी खातदारी योजना/ जविप्रा. योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राघव दीक्षित पुत्र श्री शैलेश दीक्षित	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री गोवर्धन चौधरी	बी-14	200.00 व.ग.	निजी खातदार	श्री दादूदयाल नगर बी	नाम हस्तांतरण/ फ्री होल्ड पट्टा	श्री अशोक कुमार दीक्षित पुत्र श्री नित्यानन्द की मृत्यु पश्चात अपजीकृत वसीयत दिनांक 20.02.21 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

PR/R-1606
28/4/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4134

दिनांक 20/9/2022

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भू.सं.	भू.क्ष.	गृ.नि.स. स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री देवी लाल गुर्जर	श्रीमती रुकमणी बैरवा पत्नी श्री प्रभूदयाल बैरवा एवं श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री कालूराम	36 एवं 47	150 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	भौमिया कॉलोनी	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा पत्र दिनांक 03.07.2008 एवं दिनांक 04.01.2016
2	श्रीमती रामपती देवी पत्नी श्री प्रेमचन्द बैरवा	स्वयं	13ए	83.33 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	भौमिया कॉलोनी	लीजडीड	आवंटन पत्र एवं साईट प्लान में भिन्नता होने से।

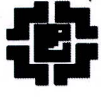
उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3112

दिनांक 20-9-22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/ जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	बी-87	श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	ए-69	श्रीमती अनिता पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3.	14/OG/20	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तान्तरण/फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
4.	K-308	श्री मोहब्बत सिंह राठौड़ पुत्र श्री जय सिंह राठौड़	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	गणेश विहार विस्तार	लीजडीड हेतु
5.	K-309	श्री मोहब्बत सिंह राठौड़ पुत्र श्री जय सिंह राठौड़	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	गणेश विहार विस्तार	लीजडीड हेतु
6.	104	श्रीमती देव देवी पत्नी श्री गोपाल बैरवा	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
7.	25	श्री राधेश्याम पुत्र श्री जमनालाल	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-1	लीजडीड हेतु
8.	207	श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छोट्टन लाल	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
9.	73	श्री भीम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजावत	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
10.	55A	श्रीमती पुष्पलता जैन पत्नी श्री रूपचन्द	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
11.	89	श्री सूर्यदेव सिंह पुत्र श्री जागेश्वर सिंह	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
12.	188	श्री समकित कुमार जैन पुत्र श्री दिनेश कुमार जैन	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
13.	190	श्री रामकल्याण गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु
14.	190A	श्री शंकर लाल कायथवाल पुत्र श्री रामगोपाल महाजन	श्री गणपति गृ.नि. स.स.	बालाजी विहार-5	लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-3057

दिनांक 19/9/22

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रीतू श्रेयाश शौर्यमान नाबालिग संरक्षित रीतू तोमर	तोमर, मान, जरिये माता सराफ श्री पुरुषोत्तम सराफ	एच-57	252.77	निजी खातेदारी	मंगलम सिटी विस्तार	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र, राजरा प्रमाण पत्र व शपथ पत्र

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PRD/R-1600
20/9/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2022/डी-2465

दिनांक : 19/9/22

आम सूचना

निम्न आर्षदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आर्षदेन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	हनुमान सहाय एवं रामस्वरूप शर्मा पुत्रान् स्व. श्री रामनाथ शर्मा	श्री रामनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरुराम	11/OA/82	627 वर्.मी.	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना	रिंग रोड परियोजना के ग्राम महापुरा	नाम हस्तान्तरण हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत के आधार

प्रतिलिपि:— जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

इस कार्यालय को प्रेषित करावें।


 स्वपायुक्त जौन-11, जौन-11
 जविप्रा, जयपुर। स प्राधिकरण
 समाचार पत्र की एक प्रति


 स्वपायुक्त जौन-11, जौन-11
 जविप्रा, जयपुर। स प्राधिकरण
 जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-2179

दिनांक. 20-09-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	474-ए	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री श्रीधर शर्मा	श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री श्रीधर शर्मा	मूल आवंटी का आवंटन पत्र दिनांक 19.11.1986 अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 23.04.2009 रसीद आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-2177

दिनांक. 20-09-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	7	मित्र गृ.नि.स. समिति	शंकर विहार	श्रीमती सजन देवी पत्नी श्री रामधन जैन	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री जीताराम	प्रार्थना पत्र साईट प्लान जमाबन्दी शपथ पत्र राशन कार्ड आदि।
2	42	न्यू पिंक सिटी	सिद्धार्थ नगर-एच	श्री भरत कुमार मालपानी पुत्र श्री कृष्णदास मालपानी	श्री मरुधर कंवर पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह भाटी	आवंटन पत्र दिनांक 14.03.1995 साईट प्लान समिति की रसीदें अपंजीकृत इकरारनामे दिनांक 08.02.2002 एवं 24.02.2003 ऑनलाइन गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2021 आदि।

PRR-1602
26/9/22

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

अ.7-

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2180

दिनांक 20-03-2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	47	जादौन नगर-बी	श्री अनिल कुमार एवं श्री यशपाल सिंह चौधरी पुत्रान श्री बाबू राम	श्रीमती हरवती देवी पत्नी श्री बी.आर. राठौड	पंजीकृत हक त्याग-पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- श्री अनिल कुमार एवं श्री यशपाल सिंह चौधरी पुत्रान श्री बाबू राम निवासी:- 47, जादौन नगर-बी, दुर्गापुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

20/3/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-3065

दिनांक 20-9-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मंगल विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर।	831 832 833 835/2889	0.0900 0.9300 0.0100 0.0800	बदागी देवी पत्नि गंगल वन्द लाखीवाल हिस्सा पूर्ण कौम बलाई सा. हसामपुरा।
ग्राम हसामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर।	76	0.3100	नंदा पुत्र रघुनाथ हिस्सा पूर्ण कौम बलाई सा. देह।
कुल किता	5	1.4200 हेक्टेयर	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा नं. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/09/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

प्रारूप R-1605
20/9/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:- जोन-14 द्वारा जारी 90ए लोक सूचना का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन 90ए आवेदन के क्रम में निम्नानुसार लोक सूचना जारी की गयी है:-

क.सं.	ग्राम/तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट.)
1.	ग्राम बीलवाकंला तह. सांगानेर	1026, 2291 / 745, 2293 / 744, 741, 743, 2290 / 745, 2292 / 744, 748, 2289 / 745, 2295 / 746 कुल किता 10	कुल रकबा 1.8852 हैक्ट.



अतः उक्त जारी लोक सूचना का प्रकाशन करवाने का श्रम करावें। प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-14/22/डी- 3108

दिनांक 20.09.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2022/डी-1001

दिनांक:- 19/9/2022

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री बलवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री जीराम सिंह	श्री बलवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री जीराम सिंह	21	265.55	विवेकानन्द	करधनी एनक्लेव	फ्री-होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा खोजने के पश्चात सत्यापित प्रतिलिपि, शपथ पत्र एवं खोया पाया के आधार पर।
2	श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री मुला राम चौधरी	श्री बृजराज श्रुति पत्नी श्री राघवेन्द्र पाल सिंह	1 साउथ पार्ट एवं 2	922.49	बाबा आर.एन. गौड़	राम विहार	फ्री-होल्ड पट्टा	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटेन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेज के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2630

दिनांक:-20/9/22

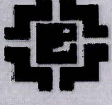
जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री यशपाल सिंह	श्री देवराज सिंह	132-ए	630.00 वर्ग गज	मौजी गृ.नि.स.स.	मौजी कॉलोनी	फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत वसीयतनामा/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवटी/ लीजहोडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल घ.म.	गृ.नि.स.स./निजी छातेदारी योज ना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	समा बिनाके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रुक्मणी चौधरी पत्नी श्री रामाधर चौधरी	श्री महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा	325	500.00	शुद्ध गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	डी राजेन्द्र प्रसाद नगर	लीजहोड	आवेदन पत्र, साइट प्लान, रसीद एवं विक्रय पत्र

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
नविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

नविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: नविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी 2063 दिनांक 17/09/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर ए के भूखण्ड संख्या 284 क्षेत्रफल 390 व.ग. भूखण्ड संख्या 284ए क्षेत्रफल 250.00 व.ग. भूखण्ड संख्या 285 क्षेत्रफल 390 व.ग. श्रीमती सुमन रावत द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम बदरवास के खसरा नम्बर 162/180 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,

पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)
जयपुरा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जयपुरा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी- 2060
दिनांक:- 19/11/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-4/15

दिनांक 19/9/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार ए के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्पूर्व हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1454/1, 1456/1, 1477/1, 1478/1, 1479, 1480/1	1.20 है0	गौरी शंकर, जगदीश नारायण, मुकेश कुमार पुत्रान श्री राधेश्याम हिस्सा 3/4 एवं श्रीमती रामादेवी पत्नी श्री राधेश्याम हिस्सा 1/4 जाती माली सा.देह

1438, 1440, 1483, 1485,	1439, 1446, 1484,	1.24 है०	कन्हैयालाल, शंकर लाल पुत्र नारायण लाल हिस्सा 1/6, मुरुकमणी देवी पत्नी नारायण लाल हिस्सा 1/12, गोपाल पुत्र घासी हिस्सा 1/4, तुलसीराम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4, लालाराम पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/4 जाती माली सा.देह खातेदार
1476, 1477		0.19 है०	अशोक कुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/4, आलोक, राजेन्द्र कुमार पुत्रान नृसिंह हिस्सा 1/4, कृष्णगोपाल पुत्र देवी नारायण हिस्सा 1/4, पवन कुमार, राजेश कुमार, संतोष कुमार, सोहन लाल पुत्रान भौरी लाल हिस्सा 1/4 सा.देह खातेदार
1429		0.14 है०	घनश्याम पुत्र शंकर लाल हिस्सा पूर्ण नि. 1/13, हाउसिंग बोर्ड विस्तार, खोडा गणेश जी रोड, मदन गंज, किशनगढ़, अजमेर

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 19/9/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-4115

दिनांक 19/9/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार ए के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1454/1, 1456/1, 1477/1, 1478/1, 1479, 1480/1	1.20 है0	गौरी शंकर, जगदीश नारायण, मुकेश कुमार पुत्रान श्री राधेश्याम हिस्सा 3/4 एवं श्रीमती रामादेवी पत्नी श्री राधेश्याम हिस्सा 1/4 जाती माली सा.देह

1438, 1439, 1440, 1446, 1483, 1484, 1485,	1.24 है०	कन्हैयालाल, शंकर लाल पुत्र नारायण लाल हिस्सा 1/6, मुरुकमणी देवी पत्नी नारायण लाल हिस्सा 1/12, गोपाल पुत्र घासी हिस्सा 1/4, तुलसीराम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4, लालाराम पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/4 जाती माली सा.देह खातेदार
1476, 1477	0.19 है०	अशोक कुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/4, आलोक, राजेन्द्र कुमार पुत्रान नृसिंह हिस्सा 1/4, कृष्णगोपाल पुत्र देवी नारायण हिस्सा 1/4, पवन कुमार, राजेश कुमार, संतोष कुमार, सोहन लाल पुत्रान भौरी लाल हिस्सा 1/4 सा.देह खातेदार
1429	0.14 है०	घनश्याम पुत्र शंकर लाल हिस्सा पूर्ण नि. 1/13, हाउसिंग बोर्ड विस्तार, खोडा गणेश जी रोड, मदन गंज, किशनगढ़, अजमेर

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 19/9/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

11
प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

✓ प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-4123

दिनांक 19/9/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण निजी खातेदारी की योजना जगन्नाथ नगर प्रथम के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्पूर्व हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर	809/1	0.1433	हनुमान पुत्र श्री जगन्नाथ जाती ब्राह्मण सा.देह
	809/3	0.1433	रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ जाती ब्राह्मण सा.देह
कुल किता 02 कुल रकबा 0.2866 है0			

19/9/22

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 19/9/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:— जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

1)
प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-4123

दिनांक 19/9/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण निजी खातेदारी की योजना जगन्नाथ नगर प्रथम के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर	809/1	0.1433	हनुमान पुत्र श्री जगन्नाथ जाती ब्राह्मण सा.देह
	809/3	0.1433	रामसहाय पुत्र श्री जगन्नाथ जाती ब्राह्मण सा.देह
कुल किता 02 कुल रकबा 0.2866 है0			

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 19/9/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

1)

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102088

दिनांक: 20/09/2022

लोक सूचना

श्रीमति BHULI पत्नी श्री JAGANNATH जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री CHAJU LAL पुत्र श्री RAMSAHAY SHARMA जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्रीमति CHANDA DEVI पुत्री श्री BADRI जाति BHRAMAN निवासी BHAG WALI, DHALNI, GOLYAWAS, MANSAROVAR, JAIPUR

श्री GANESH पुत्र श्री ISHWAR LAL जाति BHRAMAN निवासी RAJUPURA USTA, WARD NO 1, SHYAMPURA, KACHOLIYA, JAIPUR

श्री GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP पुत्र श्री THROUGH DESIGNATED PARTNER जाति LLP निवासी 34, BHURAJI VIHAR, GANPATHPURA 2, MANSAROVAR, JAIPUR

श्री HANUMAN पुत्र श्री GOPAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री KAILASH पुत्र श्री JAGANNATH जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री KAMLESH SHARMA पुत्र श्री BABULAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री KRISHNABATAR SHARMA पुत्र श्री BABULAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्रीमति MANBHAR DEVI पत्नी श्री BABULAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्रीमति MANFULI पुत्र श्री MOHAN LAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री NATHU RAM पुत्र श्री BHARI LAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री RAJKUMAR पुत्र श्री BADRI जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री RAKESH KUMAR पुत्र श्री MOHAN LAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री RAM NARYAN पुत्र श्री KALYAN जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री RAMESH पुत्र श्री KALYAN जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री RAMU पुत्र श्री HARBAKSH जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री SHANKAR पुत्र श्री JAGANNATH जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री SITARAM पुत्र श्री BHARI LAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR



श्री SURESH SHARMA पुत्र श्री HARSAHAY SHARMA जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री SURGYAN LAL पुत्र श्री MOHAN LAL जाति BHRAMAN निवासी VILLAGE BEELWA KALAN, TEH. SANGANER, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, KAMLESH, KRISHNABATAR, MANBHAR, CHAJU, RAM NARYAN, RAMESH, KAILASH, SHANKAR, BHULI, NATHU, SITARAM, MANFULI, SURGYAN, RAKESH, RAMU, HANUMAN, SURESH	1026	300	0.03
2.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, KAMLESH, KRISHNABATAR, MANBHAR, CHAJU, RAM NARYAN, RAMESH, KAILASH, SHANKAR, BHULI, NATHU, SITARAM, MANFULI, SURGYAN, RAKESH, RAMU, HANUMAN, SURESH	2291/745	70	0.007
3.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, KAMLESH, KRISHNABATAR, MANBHAR, CHAJU, RAM NARYAN, RAMESH, KAILASH, SHANKAR, BHULI, NATHU, SITARAM, MANFULI, SURGYAN, RAKESH, RAMU, HANUMAN, SURESH	2293/744	2200	0.22
4.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, KAMLESH, KRISHNABATAR, MANBHAR, CHAJU, RAM NARYAN,	741	2700	0.27



		RAMESH, KAILASH, SHANKAR, BHULI, NATHU, SITARAM, MANFULI, SURGYAN, RAKESH, RAMU, HANUMAN, SURESH			
5.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, KAMLESH, KRISHNABATAR, MANBHAR, CHAJU, RAM NARYAN, RAMESH, KAILASH, SHANKAR, BHULI, NATHU, SITARAM, MANFULI, SURGYAN, RAKESH, RAMU, HANUMAN, SURESH	743	3200	0.32
6.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	CHANDA DEVI	2290/745	1741	0.1741
7.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	CHANDA DEVI	2292/744	600	0.06
8.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, GANESH	748	5700	0.57
9.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, RAJKUMAR	2289/745	1522	0.1522
10.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	GOVIND KRIPA INFRA PROJECTS LLP, RAJKUMAR	2295/746	819	0.0819
कुल					1.8852

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **20-09-2022** को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी, जॉन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

